स्थानीय शासन और क्षेत्र प्रशासन

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
18	स्थानीय शासन और क्षेत्र प्रशासन	आत्म बोध, समस्या समाधान, समानुभूति	स्थानीय शासन और प्रशासन को समझना

अर्थ

स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों की सरकार होती है, स्थानीय लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण स्थानीय शासन की संस्थायें आम लोगों के बीच होने के कारण उनकी नजर में रहती हैं। इसीलिये कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन लोगो को "पालने से लेकर कब्र" तक सेवायें प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया गया है ताकि वे स्थानीय लोगों के कल्याण के लिये और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें।

ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन

ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। शहरी स्थानीय शासन में भी तीन प्रकार की संस्थायें होती हैं जो विभिन्न आकार के शहरों में कार्य करती हैं ये हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत।

पंचायती राज व्यवस्था

भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रावधान सम्मिलित किया था। बलवन्त राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गयी। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढांचा 73वें संविधान संशोधन, 1992 के पश्चात ही अस्तित्व में आया।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य और आय के स्रोत

क. संगठन – ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निम्न स्तरीय संस्था है। ग्राम/गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जिसके अध्यक्ष को ग्राम प्रधान या सरपंच/मुखिया कहा जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर के शासन का कार्यपालिका अंग तथा ग्राम सभा इसका विधायी अंग है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत में 5 से 9 सदस्य होते हैं।, इसमें 1/3 सीटे महिलाओं के लिये आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था है।

ख. ग्राम पंचायत के कार्य – लोगों की आवश्यकता और जरूरतों को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं जैसे स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, गाँव की सड़कों का निर्माण, गाँव की साफ सफाई, सड़क और गलियों में रोशनी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, पशु नस्ल सुधार डिस्पेंसरी आदि।

ग. ग्राम पंचायत की आय के साधन – सम्पत्ति, जमीन, और जानवरों पर कर, पंचायत की सम्पत्ति का किराया तथा केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान

पंचायत समिति

पंचायत समिति का संगठन कार्य और आय के स्रोतः

क. रचनाः पंचायत या ब्लाक समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तरीय संगठन है। इसका निर्माण ब्लाक क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों/सरपंचों, विधायक, सासदों, कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है इसके अलावा ब्लाक के कुछ अधिकारी भी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं।

ख. पंचायत समिति के कार्यः पंचायत समिति के प्रमुख कार्य हैं, कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाना, जलाच्छादित विकास, सामुदायिक और फार्म वनीकरण, प्राथमिक, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा। इसके अलावा पंचायत समिति वे सब कार्य भी करती है जिनके लिये केन्द्र और राज्य सरकारों से विशेष अनुदान प्राप्त होता है।

ग. आय के स्रोतः सरकार द्वारा दिये गये अनुदान, कर तथा भू-राजस्व का एक निश्चित हिस्सा।

जिला परिषद

जिला परिषदः संगठन, कार्य और आय के स्रोत

क. रचना – जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है। यह संस्था जिला स्तर पर पायी जाती है। इसका भी कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। इसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समितियों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये भी सीटें आरक्षित की गयी हैं।

ख. जिला परिषद के कार्य – ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवायें व सुविधायें प्रदान करना। जिले के लिये विकास कार्यक्रमों का निर्माण तथा कार्यान्वयन करना, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना, छोटी सिंचाई परियोजनायें बनाना, गौचर को बनाये रखना, साक्षरता कार्यक्रम चलाना, पुस्तकालय की व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम के लिये टीकाकरण, कल्याणकारी अभियान चलाना, व्यवसायियों को लघु और कुटीर उद्योग जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद प्रसंसीकरण, मिल, डेयरी फार्म आदि स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोज़गार योजनाओं को क्रियान्वित करना।

ग. आय के स्रोत – जिलापरिषद द्वारा की जाने वाली करों की उगाही, लाइसेंस शुल्क, बाजार शुल्क भू-राजस्व में हिस्सेदारी, जिला परिषद की परिसम्पत्तियों से प्राप्त किराया, केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिये प्रदान किया गया धन।

शहरी स्थानीय शासन

74वां संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन में बड़े बदलाव किये गये। वर्तमान समय में तीन प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें कार्यरत है।: (क) बड़े शहरों के लिये नगर निगम, (ख) छोटे शहरों में नगरपालिका, (ग) ग्रामीण से शहर बनने वाले या संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिये नगर पंचायत।

नगर निगम

क. रचना – नगर निगम का गठन बड़े शहरों में किया गया है। पार्षदों का चुनाव पाँच वर्ष के लिये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इस तरह से निर्वाचित पार्षद अपने में से एक सदस्य को प्रति वर्ष मेयर चुनते हैं। मेयर को शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। नगर निगम में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है।

ख. निगमायुक्त एक अधिकारिक पद होता है जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। दिल्ली जैसे केन्द्र शासित प्रदेश में निगमायुक्त की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

ग. नगर निगम के कार्य – (i) स्वास्थ्य व सफाई (ii) बिजली व जल आपूर्ति (iii) शिक्षा (iv) लोक निर्माण (v) अन्य कार्य जैसे जन्म–मुत्यु का रिकार्ड रखना आदि।

घ. नगर निगम के आय के साधन – (i) कर उगाही से आय, लाइसेंस फीस, जल आपूर्ति शुल्क, बिजली, सीवर शुल्क; टोल–टैक्स, सामान की आवाजाही पर कर, (ii) केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (iii) निगम की सम्पति से प्राप्त किराया।

नगर पालिका

क. रचना – छोटे शहरों में नगरपालिका पायी जाती है। प्रत्येक नगर पालिका के पार्षदों का चुनाव उसी शहर के मतदाताओं द्वारा पाँच वर्ष के लिये किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका का एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सिविल इंजीनियर महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं।

ख. नगर पालिका के कार्य – (i) स्वास्थ्य व सफाई (ii) बिजली व जल आपूर्ति (iii) प्राथमिक शिक्षा (iv) जन्म व मृत्यु का रिकार्ड रखना (v) लोक निर्माण

ग. आय के साधन – नगर पालिका के आय के प्रमुख साधन हैं–

सम्पत्तियों, वाहनों, मनोरंजन और विज्ञापन पर कर, किराया, बिजली, पानी और सीवर पर शुल्क, नगर पालिका की सम्पत्तियों, दुकानो, सामुदायिक भवनों आदि का किराया आदि। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। कर चोरी, अवैध निर्माण, कानून तोड़ने वालों से प्राप्त जुर्माना आदि।

नगर पंचायत

क. रचना – प्रत्येक शहरी केन्द्र जिसकी जनसंख्या 30,000 से अधिक तथा 100000 से कम होती है वहां नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। इसमें एक अध्यक्ष और वार्ड सदस्य होते हैं। इसमें दस निर्वाचित वार्ड सदस्य तथा तीन मनोनीत सदस्य हो सकते हैं।

ख. कार्य – नगर पंचायत इन कार्यों के लिये उत्तरदायी है – (क) साफ–सफाई बनाए रखना तथा कूड़ा करकट इत्यादि साफ करना (ख) पेय जल आपूर्ति (ग) जन सुविधायें जुटाना (घ) अग्निशमन की व्यवस्था (ड़) जन्म–मृत्यु का रिकार्ड रखना

ग. आय के साधन – सम्पत्ति कर, जल कर, पथ कर, लाइसेंस फीस, इमारत के नक्शे पास कराने पर शुल्क, तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

जिला प्रशासन

- **जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त या जिलाधीश**

जिला प्रशासन के शिखर पर जिला कलेक्टर (संग्राहक) अथवा उप आयुक्त या जिला न्यायधीश होता है। पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, सिविल शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) अथवा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी और ब्लाक (प्रखण्ड) विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) आदि। जिलाधीश का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना तथा शान्ति सुनिश्चित करना होता है।

- **उप खण्ड अधिकारी**

उपखण्ड अधिकारी जिले के प्रशासन में जिलाधीश का सहयोग करता है तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भूमि रिकार्ड (लेखा जोखा) रखता है। भूराजस्व का संग्रह करता है तथा मूलनिवास, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र भी जारी करता है।

- **ब्लाक (प्रखंण्ड) विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.)**

प्रखण्ड विकास अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तर अर्थात पंचायत समिति से सम्बद्ध होता है। वह पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है जो इसकी बैठकों का रिकार्ड रखता है। उसका बजट तैयार करता है तथा विभिन्न विकास सम्बन्धी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. 73वें संविधान संशोधन, 1992 का पंचायती राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

प्र. 74वें संविधान संशोधन, 1992 का शहरी स्थानीय शासन पर क्या प्रभाव हुआ?

प्र. नगर पालिका के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।